that land. Will the hon. Minister look into it and find out after discussion with different State Governments what kind of amendments are needed in the Forest Conservation Act and in what way these people can be compensated. and will you please go in for a comprehensive policy for settling the demands of the tribals?

SHRI T.R. BAALU: Sir, if their demands meet the eligibility criteria, we are definitely there to consider their cases. So far as Kerala is concerned, Shri A.K. Anthony, the Chief Minister, had come and met me. We have discussed the matter. I have also sent some officers for an on-the-spot inspection there. If they meet the eligibility criteria, we will definitely consider their cases.

SHRI VAYALAR RAVI: Sir, ...

MR. CHAIRMAN: Next question ...(*Interruptions*) ...I won't allow it ...(*Interruptions*) ...No. Dr. Abrar Ahmed.

VRS in Railways

*189. DR. ABRAR AHMED:†
SHRI GAYA SINGH:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Railways have announced any voluntary retirement scheme for its safety related front line staff; and

(b) if so, the details of the scheme?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI NITISH KUMAR): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) Yes, Sir. Introduction of a voluntary retirement scheme for two categories *viz.* Drivers and Gangmen has been announced.

(b) The details are under formulation.

डा॰ अबरार अहमद: माननीय सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके अंदर 14 जुलाई के समाचार पत्र में मंत्री जी की घोषणा छपी हुई है उसके अनुरूप कोई

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Abrar Ahmed.

भी जानकारी इसमें नहीं दी गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि इस संबंध में जो छपा है:

"The Railway Minister announced a Voluntary Retirement Scheme for safety-related frontline staff like drivers, gangmen and pointsmen aged above 50 years. He said that the Railway would employ one member each of a family of train driver, gangman and pointsman above 50 years who choose to accept the VRS.

और आगे माननीय मंत्री जी ने कहा कि:

"The Minister pointed out that he had already announced some time ago the Railways' decision to fill 20,000 vacancies of gangmen, who are vital for rail safety. He said that if necessary, additional posts would be sanctioned for this purpose."

तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या 50 साल से ऊपर की ऐज वालों के सेफ्टी पोइंट आफ व्यू से वी॰आर॰एस॰ की स्कीम है? इसके अलावा क्या उनकी फेमिली मेंबर्स में से एक को जॉब देने का प्रस्ताव है? तथा जो बीस हजार पोस्टें खाली पड़ी हैं वे कब तक भरी जाएंगी, कैसे भरी जाएंगी और उनके अलावा भी आपकी क्या योजना है?

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, जहां तक हमारे द्वारा की गई घोषणा का प्रश्न है, इसका हमने उत्तर दिया है कि यह घोषणा की गई है। अब जब हम कोई सेफ्टी रिलेटिड रिटायरमेंट स्कीम ला रहे हैं तो पूरे तौर पर उस स्कीम को फार्मुलेट करना पड़ेगा और वह स्कीम फार्मुलेट की जा रही है। हमने 12 और 13 तारीख को रेलवे के अंदर एक वर्कशॉप किया था जिसमें जो नीचे के स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ था। हमारी जितनी यूनियन हैं, फेडरेशन हैं सभी ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें कुछ बातें उभर कर आई थीं और एक लम्बे अरसे से रेलवे में काम करने वाले खास करके जो गैंगमेन हैं, ड्राइवर्स हैं उनकी तरफ से यह बात आती रही, चूंकि गैंगमेन एक ऐसा काम है जिसको कुछ वजन उठाकर काफी शारीरिक श्रम करना पड़ता है। ड्राइवर के पास कंसंट्रेशन होना चाहिए तथा कई प्रकार की कठिनाइयां भी उनके साथ हैं। तो रेलवे के अंदर यह बात विचाराधीन थी। तो उसके बारे में हम लोगों ने सोचा कि एक अंतिम निर्णय पर पहुंचना चाहिए, और तब हमने इसकी घोषणा की कि गैंगमेन और ड्राइवर को यह आफर किया जाएगा और जब वे इस प्रकार की रिटायरमेंट स्कीम को स्वीकार करेंगे तो उनके वार्ड को अगर वह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता

है तो जॉब आफर किया जा सकता है। इसी को करने के लिए पूरी स्कीम को बनाया जा रहा है।

जहां तक बीस हजार की वेकेंसी का सवाल है, तो रेल बजट भाषण में हमने उसका उल्लेख किया है और ग्रुप-डी की जो बीस हजार वेकेंसी हैं उनको भरने के लिए सब जगह कार्रवाई प्रारम्भ हो गई है।

डा॰ अबरार अहमद: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वी॰आर॰एस॰ के बारे में राकेश मोहन कमेटी की सिफारिशों के बारे में सरकार ने क्या फैसला किया है? इसके अलावा जो आपने सेफ्टी का जिक्र किया उसमें यात्रियों पर लेवी लगा कर 5-6 साल में पांच हजार करोड़ रुपए इकट्ठा करने की बात थी वह कहां तक पहुंचा है और जो राशि इकट्ठी हुई है उसे किस प्रकार खर्च किया जा रहा है?

श्री नीतीश कुमार: सभापति महोदय, इसका किसी कमेटी की अनुशंसा से कोई लेना देना नहीं है और जिस कमेटी का आपने उल्लेख किया है वह रेलवे ने एक और कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उसका अध्ययन करने के लिए रेलवे ने एक और कमेटी बना दी है और वह उसका अध्ययन कर रही है। लेकिन जहां तक इस स्कीम का सवाल है यह एक लम्बे अरसे से मांग थी और उस वर्कशॉप में यह मांग उभर कर आई और उसके आधार पर हमने यह कहा है और यह एनाउंसमेंट और यह स्कीम एम्प्लोइ फ्रैंडली है। रेलवे की सेफ्टी की परिस्थिति में और सुधार लाने के दृष्टिकोण से इस कार्य को करने का हमारा प्रस्ताव है उस पर बाकी तैयारी हो रही हैं। जहां तक उन्होंने कहा कि सेफ्टी के लिए जो शायद स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड का उल्लेख वे करना चाह रहे होंगे उसके लिए 6 वर्षों में एक अंदाज है कि पांच हजार करोड़ रुपए वसूल होंगे सेफ्टी सरचार्ज के जरिए। अब वह एक अक्तूबर, 2001 से प्रभावी है। हमने जितना आकलन किया था उतना पैसा सेफ्टी सरचार्ज से नहीं मिल पा रहा है लेकिन स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड में जो कमी होती है उसको हम इंटरनल रिसोर्सेज से पूरा करते हैं।

श्री गया सिंह: सभापति महोदय, मैं मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूं। सिर्फ आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आपने वालंटरी रिटायरमेंट स्कीम की घोषणा की, उसमें यह भी घोषणा थी मैं टेलीविजन पर सुन रहा था कि उनके वार्ड को हम नौकरी देंगे। तो ड्राइवर तो मिलेंगे नहीं लेकिन गैंगमेन लाइक उनके वार्ड हो सकते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन वैकेंसीज़ को आप पूरा करें। अभी तक यह खतरा है पब्लिक सैक्टर में कि जो अच्छे लोग होते हैं, वे वी॰आर॰एस॰ लेकर चले जाते हैं और जो फिज़िकली अनफिट हैं, दूसरे कारणों से अनफिट हैं, वे रिटायरमेंट लेकर नहीं जाते।

इसलिए जब आप स्कीम फाईनल करेंगे तो क्या आपके ध्यान में यह रहेगा कि जो गैंगमैन वी॰आर॰एस॰ लेकर जाएं या ड्राईवर्स जाएं, उनके वार्ड को जो गैंगमैन की वैकेंसी है, उसमें आप लें?

श्री नीतीश कुमार: महोदय, इन सब चीजों पर विचार मंथन चल रहा है इसमें अगर कोई वी॰आर॰एस॰ लेना चाहता है, खासकर यह सेफ्टी रिलेटेड रिटायरमेंट 2 ही कैटेगरीज़ के लिए है - ड्राईवर्स और गैंगमैन, अगर कोई रिटायरमेंट लेना चाहेगा तो पहले उससे पूछा जाएगा कि आप किस वार्ड को नौकरी दिलाना चाहते हैं? अगर वह वार्ड हर प्रकार से ऐलिजिबल होगा, टैस्ट के हिसाब से ऐलिजिबल होगा तो उसके प्रार्थनापत्र पर विचार होगा।

दहेज संबंधी मामलों में वृद्धि

*190. **प्रो॰ एम॰एम॰ अग्रवाल:†**
श्री राजू परमार:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि गत कुछ वर्षों के दौरान दहेज संबंधी मामलों में कई गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान महानगरों में प्रत्येक वर्ष दहेज संबंधी कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितनी महिलाओं की हत्या की गई तथा पुलिस द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रकार के कितने मामले आरोप पत्र के साथ न्यायालय में दायर किए गए हैं; और

(ङ) क्या न्यायालयों में दहेज संबंधी मामलों के निपटान की प्रक्रिया की गति अत्यंत धीमी है, यदि हां, तो सरकार दहेज संबंधी मामलों से संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ताकि मामलों का शीघ्रता से निपटान किया जा सके?

†सभा में यह प्रश्न प्रो॰ एम॰एम॰ अग्रवाल द्वारा पूछा गया।